राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ. 4(2)/केटे/सा.न्या.अ.वि./20/ 40987 जयपुर, दिनांक 07/08/2020

सीमित निविदा सूचना

निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर के अम्बेडकर भवन जी–3/1,भवन में विद्युत उपकरण रख–रखाव संबंधी समस्त कार्य के लिए वार्षिक रख–रखाव सम्बन्धी संविदा की जानी है। अतः इच्छुक फर्मो/संवेदकों से मुहरबन्ध लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

क्रस0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक
1	विद्युत उपकरण, भूतल में स्थापित पैनल बोर्ड्स, विद्युत लाईनों के रख–रखाव यथा उपकरणों, लाईनों में फाल्ट, पानी की मोटर, पंखे, घंटी, स्वीच, ट्यूबलाईट बदलने आदि का लेबर कार्य परिसर में स्थित सभी प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं फिक्चर्स सम्मिलित हैं।	1.50 लाख	17.8.2020 को अपराह्न 11.00 बजे तक	17.8.2020 को अपराह्न 12.00 बजे

<u>वार्षिक रख–रखाव की शर्तें–</u>

1 विद्युत कार्य के लिये फर्म/संस्था द्वारा लगाया जाने वाला व्यक्ति अनुभवी व बिजली कार्य का जानकार होना चाहिये इसके लिये विद्युत ठेकेदारी लाईसेंस या आईटीआई से इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है। कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

2 विद्युत कार्यो के रख–रखाव का भुगतान मासिक किया जावेगा। उक्त कार्य करने हेतु दरें एक वर्ष के लिये अनुमोदित की जावेगी। सन्तोषजनक कार्य होने की स्थितिं में अवधि दोनों पक्षो की सहमति से नियमानुसार अवधि बढाई जा सकती है।

3 विभागीय भवन में भूतल में स्थित पैनल, भवन की छत पर कूलिंग प्लान्ट, जनरेटर के कनेक्शन, भवन के सभी कक्षों, गैलरी एवं समस्त परिसर के बिजली उपकरण खराब होने पर तुरन्त दुरस्त करने होगे। बिजली कार्य में एम.सी.बी./आईसोलेटर खराब होने पर बदलने का कार्य करना होगा। पंखें की बाइंडिग, मोटर की बाइंडिंग, बोरिंग की मोटर बाइंडिंग का भुगतान विभाग द्वारा देय होगा किन्तु उक्त कार्य हेतु मोटर को निकाल कर रिपेयर करवाकर पुनः स्थापित करने कार्य करना होगा।

4 संवेदक इलेक्ट्रिशियन को प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय संचालन अवधि तक उपस्थित रहकर बिजली रख–रखाव कार्य करना होगा। नियम इलेक्ट्रिशियन के अवकाश पर रहने पर संवेदक को अन्य कार्मिक उपलब्ध कराना होगा। राजकीय अवकाश के दिन कार्यालय संचालन की स्थिति में विद्युत कार्मिक को कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।

5 विद्युत व्यवस्था में निगम स्तर से व्यवधान आने/सप्लाई नहीं होने पर विभागीय भवन में स्थापित जनरेटर को चालू करना करना होगा तथा विद्युत सप्लाई चालू होने पर जनरेटर को बंद करना होगा। जनरेटर में डीजल/ऑयल आदि की पूर्ति हेतु केयर टेकर/स्टोर कीपर को सूचित करना होगा।

6 बिजली से संबंधित समस्त लेबर कार्य फर्म द्वारा किये जायेगे। आवश्यकतानुसार बिजली से संबंधित सामग्री विभागीय स्तर से उपलब्ध करवाई जायेगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना संवेदक कार्मिक की मृत्यु/शारीरिक क्षति होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी। समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

7 बिलों का भुगतान उप निदेशक,प्रशासन व केयर टेकर के सत्यापन के आधार पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार बिजली कार्य समय पर नहीं किये जाने पर अथवा मोबाईल पर सम्पर्क नहीं होने पर विभाग द्वारा अन्य बिजली मैकेनिक को बुलाकर कार्य करवाया जायेगा जिसका भुगतान फर्म के भुगतान में से काटा जावेगा।

(हस्ताक्षर) 3/7/20
(जय नारायण मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

क्रमांकः– एफ. 4(2)/केटे/सा.न्या.अ.वि./20/ 40988–98 जयपुर, दिनांक 07/08/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) जयपुर।
2 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर/सहायक लेखाधिकारी (भुगतान), मुख्यावास
3 संयुक्त निदेशक/सिस्टम एनालिस्ट,मुख्यावास को एस.पी.पी.पी. पर प्रदर्शित करने हेतु।
4 नोटिस बोर्ड निदेशालय/उप निदेशक,ग्रामीण/शहर,जयपुर, शिशु गृह/किशोर गृह,जयपुर ।
5 राज एन्टरप्राईजेज,15–16,बालाजी टॉवर,लिव इन होटल के पास,सुभाष नगर,शास्त्री नगर,जयपुर
6 राधे इलेक्ट्रिकल्स एण्ड रेफ्रिजरेशन,देवलिजा अजमेर रोड,जयपुर
7 स्काईलिंक इंटरनेशनल कन्ज्यूमर सर्विसेज प्रा0 लि0, 35/134 पुखराज मार्ग, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर

(हस्ताक्षर)
(चाँद मल वर्मा)
उप निदेशक (प्रशासन)